न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2285/2003/पाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली ––अपीलांट

बनाम

धोकलसिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपुरोहित निवासी धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली ––– रेस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वी0पी0सिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
(2) श्री के0के0 पुरोहित रैस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 1.06.2018

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 30.10.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188–92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलांट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष पेश कर कथन किया कि तहसील सोजत के आराजी खसरा नंबर 295 मिन रकबा 3.12 हेक्टर बारानी दोयम व 423 मिन रकबा 1.55 हैक्टर किस्म सेबज दोयम जिसके हाल खसरा नंबर 765 रकबा 3.12 हेक्टर, 838 रकबा 1.55 हेक्टर है जिस पर वादी/रेस्पोडेंट अपने पूर्वजों के समय से आज तक काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी के पिता के नाम सं. 2010 से 2019 कीं जमाबन्दी में सासणदारान दर्ज है। विवादित आराजी को काफी धन खर्व कर काबिल काश्त बनाया है। अतः दावा वादी डिक्री किया जावे। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में दावा पेश होने पर प्रतिवादी को नोटिस दिया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–09–2001 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध वादी/रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के समक्ष पेश की जिसे उनके द्वारा दिनांक 30–10–2002 को स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये है कि वे वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख

एवं मौखिक साक्ष्य लेकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । जिससे असन्तुष्ट होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील में अन्तिम बहस सुनी गयी।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का दौराने बहस मुख्य तर्क यह है कि वादी/रेस्पोडेंट ने अपने आपको सं0 2010 से 2019 में बतौर सासणदार का उल्लेख किया है लेकिन उसने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है केवल मौखिक साक्ष्य पेश की है जिसे सही नही मानकर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद को सही खारिज गया है, लेकिन विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने उसे अपास्त कर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि वादी/रेस्पोडेंट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित आराजी पर काबिज काश्त रहा हो, किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है तथा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत जॉच कर ही वादी/रेस्पोडेंट का दावा खारिज किया है। वादी ने जो खसरा परिवर्तनशील की रसीदे पेश की है वे बतौर अतिक्रमी की है और एक अतिक्रमी को खसरा परिवर्तनशील के आधार पर खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेंट के वाद को खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है लेकिन विद्वान अपील अधिकारी ने प्रकरण को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अपील अधिकारी को अपने स्तर से ही प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अन्त में अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—10—02 को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20—9—2001 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का तर्क है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट व उनके पिता का कब्जा सं. 2010 से लगातार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय रेस्पोडेंट को विधिवत खातेदारी अधिकारी दिये गये लेकिन एकीकरण के समय विवादित आराजी को सिवाय चक अंकित कर दिया । रेस्पोडेंट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी सं0 2010 से 19 में वादी/रेस्पोडेट को सासणदारान अंकित किया गया है परन्तु काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज किया गया है। विवादित आराजी पर आज भी रेस्पोडेंट/वादी का ही कब्जा है । विवादित आराजी से आज तक बेदखल नही किया गया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी के वाद को पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपील अधिकारी ने वादी के वाद को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अन्त में

निवेदन किया कि विद्वान अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखते हुए अपील को खारिज किया जावे।

6— हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

7— पत्रावली के अध्ययन व अवलोकन से यह स्पष्ट होता है वादी/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करते समय अपने आपको सं0 2010 से 2019 में बतौर सासणदार का उल्लेख किया है लेकिन उसने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है केवल मौखिक साक्ष्य पेश की है जिसे सही नही मानकर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वाद को खारिज किया है । चूँकि सं02010 से 19 के भू प्रबन्ध विभाग के रिकार्ड में वादी का नाम सासणदारान की हैसियत से आया है लेकिन वादी ने जो सं0 2012 की खसरा गिरदावरी पेश की है उसमें उसका नाम दर्ज नही है तथा जिस भूमि पर वादी खातेदारी चाहता है उस पर सं02012 में काश्त होना नही पाया जाता है। वादी वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय खुदकाश्त की बताता है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से भलीभॉति प्रमाणित नही किया है। दावे के तथ्यों को दस्तावेजों से ही प्रमाणित करना होता है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिचाय चक भूमि के रुप में अंकित है जिस पर वादी को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। चूकि जिस समय वादी ने वाद पेश किया है उस समय उसकी हैसियत एक अतिक्रमी की है। इसके अलावा वादी ने यह भी साबित नही किया है कि उसका कब्जा सं.2010 से निरंतर रहा हो। सासणदार को विवादित आराजी पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। उक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपना विस्तृत कानून सम्मत निर्णय पारित कर दावा वादी/रेस्पोडेंट खारिज किया है ,जिसमें हम किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही पाते है । लेकिन विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 30—10—2002 के द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर कानूनी त्रुटि की है। फलस्वरुप हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

8— अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—9—2001 यथावत रखते हुए राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—10—2002 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष